

आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा में,

सचिव

कोन्स्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:

शिं0स0 / ५४३६-४२ / 2009-10

विषय:

चिक्कर पञ्चिक स्कूल पीलीभीत बाईपास बरेली को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

दिनांक ३०-१२-०९

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश सं०- शिक्षा (7) अनुभाग संख्या- 1916 / 15-7-09-1 (299) / 2007 दिनांक 14-07-09 के अनुक्रम में गठित मण्डलीय समिति के निर्णय दि० 30.12.09 के कम में उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं हैः-

01. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
02. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
03. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
04. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने के तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
05. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
06. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
07. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
08. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं के रखा जायेगा।
09. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

ऊपर्युक्त प्रतिबंधों का प्रालृत करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और युद्धि फ़िल्मी सम्मेलन यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(माजिद अली)

आयुक्त

बरेली मण्डल, बरेली।

दिनांक उक्तवत्।

५८

पृ०स०: शिं०स० / ५४३६-४२

/ 2009-10

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
02. शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
03. जिलाधिकारी, बरेली।
04. संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली।
05. जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
06. प्रबन्धक, चिक्कर पञ्चिक स्कूल, पीलीभीत बाईपास बरेली।
07. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।